JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सम्मान महिला सशक्तीकरण का पहला कदम

डॉ० मन्जु
एसोसिएट प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय

Abstract (सारांश) : घर की चारदीवारी में कूपमंडूक सा जीवन व्यतीत करती महिलाएं अकसर अपनी आत्म सम्मान के साथ समझौता करती नज़र आती है। पुरुषवादी सामंती समाज में यह समझौते उन्हें घर से बाहर भी अपनी क्षमतानुसार कार्य व वेतन न मिल पाने के रूप में भी दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री की लाल किले से महिला सम्मान करने की अपील ने समाज की कलई को खोल कर रख दिया। महिला सम्मान ही महिला सशक्तीकरण का पहला कदम है क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन, संवैधानिक प्रावधान है।

Keyboard (संकेत शब्द) – पुरुषप्रधान समाज, नारी उत्पीड़न, कमजोर स्थिति, असक्षम व्यक्तित्व, महिला सम्मान, महिला सशक्तीरण।

पुरुष प्रधान समाज में दोयम दर्जे पर जीवन जीने को मजबूर महिलाओं को अकसर ऐसे माहौल का सामना करना पड़ जाता है जहां स्वयं के लिये सम्मान व गरिमा जैसे सिद्धांतों से उन्हें समझौता करना पड़ता है। आजादी के 75वें समारोह में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण में कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यह विषय इशारा करता है कि समाज को किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक ज्ञान की भी अति आवश्यकता है, जहाँ लैंगिक समानता कागजों में नहीं व्यवहार में हो यह जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह अपील की "नारी का अपमान बन्द होना चाहिए", क्योंकि देश की तरक्की के लिये महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। इस वक्तव्य ने भारतीय समाज की असलियत को सामने ला दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि "मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहां कहूं। वो यह है कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी

बोल–चाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है, ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ।"

कुछ विश्लेषक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील को आने वाले चुनावों की रणनीति का कोई पक्ष भी मान सकते हैं, लेकिन यहां प्रश्न स्वयं से करने का भी है कि क्या श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील सही नहीं है?

टीवी, इंटरनेट व सोशल मीडिया के चाव ने या कहे नीले ज़हर ने महिलाओं को हमेशा एक सेक्स आबजेक्ट के रूप में ही प्रस्तुत किया है। पोर्नग्राफी भी महिला अस्मिता से खिलवाड़ के समान है। भारत में साक्षरता का दर 74.04% है जिसमें पुरुषों का प्रतिशता 82.14% है तथा महिलाओं का 65.46% है। धार्मिक, जातिए, भाषिए विविधताओं की समस्याऐं जहां भारतीय सामाजिक संरचना को कमजोर करती है, वही महिला साक्षरता दर की कमी महिलाओं के लिए जीवन न सिर्फ घर अपितु घर के बाहर भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। यूं तो भारत और इंडिया में भी अच्छा खासा फर्क देखा जा सकता है। ग्रामीण स्तर (भारत) पर महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 65% है जहां लड़कियाँ उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती है। जल्दी विवाह, कम उम्र में लगातार गर्भधारण, अस्वस्थ शरीर तथा कमजोर बच्चों का जन्म। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जहां अक्सर महिला घर की की चार दीवारी में रहकर घर व बच्चों के संभालने का काम करती है। पति (पुरुष) स्वयं को स्त्री व घर का मालिक समझता है। तथा यह जताने का वह कोई भी अवसर जाने नहीं देता हैं शराब पीकर मार–पीट व गाली–गलौच निम्न मध्यवर्गीय परिवारो की महिलाओं के लिए आम बात होती है, जिसे वे अपनी नियति समझ कर चुपचाप सहती जाती है। इंडिया की स्थिति भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, यहां भी महिलाओं को सम्मान चोट का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं घर व बाहर दोनों के प्रबंधन में जहां ज्यादा समय लगाती है, वहीं उन पर चालाक, तेज, चरित्रहीन, अवसरवादी जैसी उपमाओं से अलंकृत कर अपमानित किया जाता है।

अब अगर बात प्रधामंत्री जी के भाषण की करे, तो उसके कई मायने है। शाब्दिक अर्थों में यदि महिलाओं के लिए अपशब्द ना बोलने की बात की जा रही है तो इसका इशारा सड़क, गली–मोहल्लों में पुरुषों की अहम तुष्टि की लड़ाई में जब एक दूसरे की घर की महिलाओं के लिऐ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो मानवता शर्मसार होती है। आमतौर पर सामाजिक व्यवहार में गालियों को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है जबकि यह सही परिभाशा नहीं होनी चाहिए। जो पुरुष सौम्य होते है उन्हें हंसी का पात्र बना दिया जाता है, जबकि हमारी परंपरायें हमें

अर्द्धनारीश्वर का ज्ञान कराती है। यह सिद्धान्त हमें समझाता है कि लिंग से परे प्रत्येक मनुष्य में मानवता होनी चाहिए जिसमें नारी की सृजनता, सहनशीलता व सौम्यता तथा पुरुष की पालक, दृढ़ता, संघर्षशीलता समाहित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह व्यक्ति सही अर्थों में मानव है जो सृजक, सहनशील, सुदृढ़, सौम्य, दृढ़ संकल्पी व संघर्षशील हो। यह तत्व सभी मानवों में होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता में इन तत्वों के विभाजन ने मालिक व दास रूप में दो वर्गों को तैयार कर दिया है। पुरुष मालिक व स्त्री दासों का जीवन जीने को मजबूर है।

प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के कुछ और अर्थ राष्ट्रीय संदर्भों में जाकर भी समझा जा सकता है। सर्वोच्च कार्यपालक के पद को इस बार एक जनजाति समुदाय से संबंधित महिला ने सुशोभित किया है। जिससे पूरी महिला जाति ने स्वयं को गौरान्वित महसूस किया है। "लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग भी सामने आए है जहाँ इस गौरन्वित क्षण को अपमानित करने का प्रयास किया गया। जिस पर संसद में पक्ष व विपक्ष में गर्मागर्म बहस भी हुई। प्रधानमंत्री जी का इशारा इस बात की ओर भी हो सकता है कि जब सर्वोच्च कार्यपालक के पद पर विराजमान महिला को पुरुष सामंती मानसिकता की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अशिक्षित गरीब महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय होगी, इनका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

ठीक इसी तरह जब दो देशों (राष्ट्रों) का आपस में युद्ध होता है या कहे दो संस्कृतियों में संघर्ष होता है, तब दोनों पक्षों द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप बलात्कार द्वारा महिलाओं के ही सम्मान का मान–मर्दान किया जाता है। यहाँ महिलाऐं एक ऐसी अप्रत्यक्ष शत्रु के रूप में दिखाई पड़ती है जो ना तो युद्ध में लडती है ना ही राजनीति से उनका कोई लेना–देना होता है मगर दूसरे पक्ष के अपमान सहने वाला सबसे पहला, सुलभ और प्रतिकार न करने वाला वर्ग यही होता है।

पुरुषों के लिए महिलाऐं वे सुलभ प्राप्त व्यक्ति होती है, जिस पर हर प्रकार की निराशा या कुंठा को निकाला जा सकता है। अकसर पति कार्यस्थल में त्रस्त परेशानियों को घर पर महिलाओं के ऊपर ही उतारते हैं विशेषकर अशिक्षित पुरुष। असमानता का व्यवहार ही महिलाओं के प्रति समाज के असम्मानजक स्वरूप को दर्शाता है। कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा के समान अवसर ना मिल पाना, उच्ची शिक्षा प्राप्त न कर पाना, कम उम्र में विवाह तथा सारी उम्र चार दीवारी की कैद महिलाओं की नियति बन कर रह जाती है। परिस्थितियां बदली भी है, अब इंडिया (शहरी भारत) में लड़कियां पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है लेकिन महत्वकांक्षी महिलाओं या जो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहती है, उन पर अनैतिक समझौतों का दबाव डाला जाता है। कई बार देखा गया है

कि पुरुष अपने उच्च अधिकारी के रूप में महिलाओं को स्वीकार नहीं पाते हैं तथा उनके चरित्र को हनन करने का प्रयास करते हैं।

25% महिलाओं ने भेदभाव पूर्ण व्यवहार की शिकायत की। 17% महिलाओं ने कार्यस्थल पर पुरुष सहकर्मी द्वारा यौन शोषण की शिकार हुई 40% महिलाओं ने असमान व्यवहार का जिक्र किया। 43% महिलाओं ने माना कि उनके द्वारा किए कार्यों का उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, सहकर्मी भद्दे मजाक करते हैं। 27% महिलाओं ने माना कि उन्हें कम वेतन प्राप्त होता हैं, 24% महिलाओं ने माना कि उन्हें सफलता के कम अवसर (पुरुषों के मुकाबले) प्राप्त होते है।

अगर बात राजनीतिक क्षेत्र की करें तो सभी राजनैततिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं परंतु वे न तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और न ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं। महिला आरक्षण बिल का कानून न बन पाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

खेल व मनोरंजन के क्षेत्रों में भी खिलाड़ी व अभिनेत्रियों को पुरस्कार राशि व पारिश्रमिक कम ही मिलता है।

कानूनी व्यवस्था व संरक्षण की बात की जाए तो संवैधानिक प्रावधान लैंगिक समानता के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, मगर पितृसत्तात्मक सामंती सामाजिक ढ़ांचा एक अवरोध के रूप में उपस्थित नज़र आता है। समाज में लैंगिक समानता व न्याय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक महिलाओं को तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को सम्मान नहीं होगा। महिलाएं चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित कामकाजी हो या घरेलू, शहरी हो या ग्रामीण प्रत्येक महिला के योगदान को सराहा जाए तथा यह आवश्यक है कि राष्ट्रनिर्माण में उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग को सम्मान दिया जाए।

संदर्भ

1. प्रधानमंत्री का भाषण, 15 अगस्त 2022.08.25

2. लिपोवस्की, ए.जे.ए0 (1975) द पोजिशन ऑफ इंडियन वूमन इन द लाइट आफॅ लीगल रिर्फोफः स्टीनर पब्लिशर, आईएसबीएन 978–3515020503

3. वर्मा अर्पिता., (2017) वूमन् हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोल ऑफ स्टेट एंड वालनेटरी आर्गनाइजेशन, रावत पब्लिकेशन, आईएसबीएन 978–8131609132

4. नारायण दीपा., (2018) ब्रेकिंग द सांइलेस अबाऊट इंडियाज वूमनः चुप, जुगनरनाट पब्लिशर, आईएसबीएस 978–9386228604

5. नायर ऊषा., (1987) एडुकेशन फॉर वूनमस इकवैलिटी इन इंडियाः लिमिट एंड पोसिबिलिटिज, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली